Inte Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] No. 462]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2002/आश्विन 17, 1924 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2002/ASVINA 17, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन पक्ष) अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2002

सा.का.नि. 688(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तंभ और दीपपोत विभाग (समूह 'क' राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में समूह 'क' राजपत्रित तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'क' राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिदिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में बिनिर्दिष्ट हैं।

4. निरईता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि केअधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शि**थिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के अधिसूचना व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

3146 GI/2002

(1)

2/6			OF INDIA : EXTE	RAORDINARY	0	PART II-SEC.
सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंश्वन)नियम1972 के नियम 30 के अधीन अनुडोय है या नही		लागू नहीं होता	ette ette	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	10	लागू नहीं होता
सीचे भती किंये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	Q	लागू नहीं होता				
चयन अथता अचयन पद	ß	चयन		सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियौके लिए विहित आयु और श्रैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियोंकी दशा में लागू होंगी या नही	0	लागू नहीं होता
वेतनमान	4	18400-500- 22400 자 대각		सीधे । विहित व्यक्ति		
पदों की राख्या व्यक्तिभग	2 3	1* साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'राजपत्रित, अननुसचिवीय	* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन केया जा सकता है _।	सीधे भर्ता किंये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 8		लागू नहीं होता
46 0) <u> 1</u> 표	-	महानिदेशक	* (2002) कार्यभार व किया जा सकता है	सीधे भर्ती किये जाने वाले शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 8		

I

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भतीं की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।	12	प्रोन्नति :- 14300-18300 रुपये के वेतनमान में ऐसा उपमहानिदेशक जिसने उस श्रेणी मे तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा उपमहानिदेशक जिसने उपमहानिदेशक और निदेशक के रुप में छवर्ष नियमित समिलित सेवा की है जिसमे से कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा उपमहानिदेशक के रूप मे की हैं और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिका/दूरसंचार/इलेंक्ट्रोनिकी और संचार/इलेंक्ट्रोनिकी या विष्ठुत इंजीनियरी मे डिग्री या समतुल्य '	टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठव्यक्तियों के सबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता से or पूरा कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कमन हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चातर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधे सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	प्रतिनियुक्तिः। केन्द्रीय /राज्य /संघराज्य क्षेत्र सरकारों/पत्तन न्यास/ लोक क्षेत्र उप्क्रमों के ऐसे अधिकारी (क)(1) जो मूल काइएविभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैं' या (11) जिन्होंने मूल काडररविभाग में 14300-18300 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी ने नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हैं और
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	=	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न / अंतर्गत अल्पकालिक संविद्या भी है ।		

 (ख) जिलके पास निम्मलिखित यथाउपदर्शित शीक्षिक अर्हताएं और अनुभव हे

÷ *

13	लोकसेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा ।
	14
समूह'क'विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के लिए)	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत यस्त क के क
अध्यक्ष /सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष सचिव,भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय- सदस्य अपर सचिव,भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय- सदस्य	पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ,
	- 9 -
1 2 3 4 5	9
उपमहानिदेशक 3* साधारण केन्दीय सेवा 14300-400- चयन समूह'क'राजपत्रित, 18300 रुपये अननुसचिवीय	लागू नहीं होता लागू नहीं होता
* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	

<u>•</u>				TE OF INDIA: EXTRAOR	<i>b</i>	[PART II—SEC. 3
9	लागू नहीं होता लागू नहीं होता	12	प्रोन्नति :- 12000-16500 रुपये के वेतनमान में ऐसा निदेशक जिसने उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर निदेशक और उपनिदेशक (10000-15200रुपये के वेतनमान में) की श्रेणीयों मे10वर्ष नियमित समितित सेवा की हो जिसमे से कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा निदेशक की श्रेणी में हो और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल /यांत्रिक /दूरसंचार/हलैक्ट्रोनिकी और संचार /इलैक्ट्रोनिकी या विधुत इंजीनियरिंग मे डिग्री या समतुल्य है ।	ज्यन पर प्रमान्य व्यावतथा क सबध में, जिन्होने अपनी अर्हवर्धपात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे उथेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, ड्रूनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों रहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्हति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	<u>प्रतिनियुक्ति (जिसके</u> अं <u>तर्गत</u> अत्पकालिक संबिद्य भी है) केन्द्रीय /राज्य /संघराज्य क्षेत्र सरकारों /पत्तन न्यास/ लोक क्षेत्र उपक्रमों के ऐसे अधिकारी (क)। जो मूल काडरविभाग मे नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैं' या	जिन्होंनें मूल काडर/विभाग मे 12000-16500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान मे उस श्रेणी में नियुतित के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है और जिसके पास निम्नलिखित यथाउपदर्शित श्रैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है':-
8	लागू नहीं होता	A State of the second second	प्रोन्-नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अत्पकालिक संविदा भी है । अत्पकालिक संविदा भी है । सियले है । समतुल्य है ।		<u>यतिनियुक्ति (जिसके</u> अं <u>त</u> उपक्र हुए है	ा जिन्हे पश्चा ख जिसव आवश

•

.

	भारत का राजपत्र : असाधारण	
 किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/दूरसंचार/इलेक्ट्रानिकी/इलेक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । किसी इंजीनियरी संगठन में समुद्री नौपरिवहन को सहायता के श्रेत्र मे पर्यवेक्षीय स्थिति में 15 वर्ष का यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत डाक, बंदरगाह और अन्य संरचनात्मक कार्य जिसमे जलमान प्रतिष्ठान हो जो सिविल यांत्रिक और इलेक्ट्रोनिकी/इलेक्ट्रोनिकी और संचार इंजीनियरी को लागू हो । 	(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति मे है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्हते द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्तिर्संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी ।	14 किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविद्या भे है) पर नियुक्ति के समय - अध्यक - संदस्य - संदस्य - संदस्य
	13	समूह 'क'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1 अध्यक्ष /सदस्य संघ लोक सेवा आयोग 2 संयुक्त सचिव, भारत सरकार,गेत परिवहन मंत्रालय 3 महानिदेशक , दीपरतांभ और दीपपोत - स

[भाग II—खण्ड 3(i)]

			DIA: EXTRAORDINARY
2	सुर	अनुसार सरकारी सेवकों के	ष्र भारत में अभ्यार्थियों से । न कि वह अंतिम तारीख त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- ग्रीति जिले तथा चम्बा जिले ग्रीति जिले तथा चम्बा जिले ग्रिंयों के लिए विहित की ग
9	50 वर्ष से अधिक नहीं	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	टिप्पणी आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू. कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के कांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई हैं।
5	चयन	(केन्द्रीय सरकार द्वारा उ 5 वर्ष तक शिधिलनीय)	टिप्पणी :- आयु स् आवेदन प्राप्त कर असम, मेघालय, कश्मीर राज्य के पांगी उपखंड, अंदन
4	12000-375- 16500 ਨਾਪਟੀ		
e	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क`राजपत्रित, अननुसचिवीय		* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन केया जा सकता है ।
2	ზი		भार के आह न ले आह
-	निदेशक प्रादेशिक-7 सिविल-1 इलैक्ट्रोनिकी-1		* (२००२) कार्यभार से किया जा सकता है
	n		

[PART II—SEC. 3(i)]

<u>[भाग]]—</u>	खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	9
10	सीधी भतीं किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष		
6	आयुः नहीं आवश्यक शैक्षिक अर्हता : हाँ	प्रसीय	
8	प्रवर्गः प्रादेशिक आवश्यकः- (।) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सितिल/ यांत्रिकी /इलैक्ट्रानिकी दूरसंचार इलैक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य (۱۱) किसी इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय स्थिति मे 10 वर्ष का अनुभव ।	वांछनीय :- साधारण प्रशासन रखरखाव और प्रकाशगृह और अन्य समूद्रीय नौपरिवहन मे अन्य सहायता में अनुभव । प्रवर्ग-सिविल आवश्यक :(।) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में हिग्री आवश्यक :(।) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में हिग्री या समतुल्य । (।।) डाक बन्दरगाह और अन्य संरचनात्मक कार्य साथ ही प्रतिस्ठानों में पर्यवेक्षीय सिधति मे दस वर्ष का अनुभव । सिधति मे दस वर्ष का अनुभव । बांछनीय :-साधारण प्रशासन, रखरखाव और प्रकाशगृह और अन्य समूद्री नौपरिवहन में अन्य सहायकता में अनुभव ।	

3146GI/02-2

[भाग]]—खण्ड २७)]

प्रवर्ग : इलैक्ट्रोनिकी

आवश्यकः (**।) किसी मान्यतप्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसं**चार्**श्लंक्ट्रानिकी** और संचार/इलेंक्ट्रानिकी इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । (।।) रेडियो पारेषण और ग्रहण केन्द्रों के डिजायन, प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण

जिसके अंतर्गत एरियल पद्धति भी है और इलैक्ट्रानिकी उपस्करों में प्रतिष्ठापन अनुरक्षण का दस वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- साधारण प्रशासन रडार रेडियो दूरभाष और रेडियो उपस्करों का अनुरक्षण में अनुभव ।

टिप्पणी :- (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोकसेवा आयोग के विवेकानुसार अ नुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थयों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है (है)जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के टिप्पणी ः (l) अर्हताएं अन्यथा सु अहिंत अभ्यर्थियों की दशा मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिधिल की जा सकती है l पर्यात संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

12	प्रोन्नति :- 10000-15000 रुपये के वेतनमान मे ऐसा उपनिदेशक जिसने उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा उपनिदेशक जिसने उपनिदेशक और सहायक कार्यकारी इंजीनियर (वेतनमान 8000-13500 रुपये) की श्रेणी मे दस वर्ष की सम्मिलित सेवा की है जिसमें से उपनिदेशक के रुप में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।	टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध मे, जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, हुनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्हति के लिए अपनी परिवीधा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	प्रतिनियुक्तिः। केन्द्रीय सरकार /राज्य /संघराज्य क्षेत्र सरकारो /पत्तन न्यास/ लोक सैक्टर उपकृमों के ऐसे अधिकारी(क) 1 जो मूल काडरविभाग मे नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैं' या 11 जिन्होंने मूल काडरविभाग मे 10000-15000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान मे उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है और ख जिसके पास सीष्टे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंमं 8 में विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव है
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमे अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) दोनों के न हो सकने पर सीक्षी भर्ती द्वारा ।		

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्हति की सीधी पंकित में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्हते द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविद्या की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविद्य की आवधि है. साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नही होगौ)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकातिक संविद्या भी है) के लिए आधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।	E GAZETTE OF INDIA : EX	किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविद्धा भी है) पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।	PART II-SEC. 3(
(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अ किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति/संविदा क में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारि साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नही लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन			
	13	समूह 'क'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1 अध्यक्ष /सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2 संयुक्त सचिव,भारत सरकार,पोत परिवहन मंत्रालय - सदस्य 3 महानिदेशक , दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य	

1	बण्ड 3(i)]		भारत का राजपत्र : असाधारण		
	मध्	'या आदेशों' के अनुसार सरकारी	ब भारत में अभ्याधियों से न कि वह अंतिम तारीख जो मिपुरा, सिक्किम, जम्मू- ग्रीति जिले तथा चम्बा जिले के धैर्यों के लिए विहित की गई है।		
0	40 वर्ष से अधिक नही	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किंग् गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ६ वर्ष तक शिथिलनीय)	टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियां से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम् तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,मिजोरम, मणिपुर, नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।		
5	리각ન	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर : सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)	टिप्पणी :- आयु सीमा अव आवेदन प्राप्त करने के लि। असम, मेघालय, अरुण्गच कश्मीर राज्य के लदाख र पांगी उपखंड, अंदमान और		
4	10000-325- 15200 전 4각				
с С	साधारण केन्दीय सेवा समूह क'राजपत्रित, अननुसचिवीय			र पर परिवर्तन	
5	* 2			ार के आधा	
-	उपनिदेशक प्रादेशिक-7 सिविल-1 इलैक्ट्रोनिकी-4			* (20८2) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	किया जा सकता है
	5				

	THE GA	ZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II-SEC
10	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष का अनुभव		
6	आयुः नहीं आवश्यक अर्हता : हॉ		
8	प्रवर्गः क्षेत्रीय आवश्यकः- (।) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिवित्त/ यांत्रिकी /इलैक्ट्रानिकी /दूर संचार /इलैक्ट्रोनिकीऔर संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य (۱۱) सैंक्रिया और अनुरक्षण जिसमे डिजाइन और परियोजना नौंपरिवहन को सहायता का निष्पादन है के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय रिंथति मे पांच वर्ष का अनुभव । रिंथति मे पांच वर्ष का अनुभव ।	बांछनीय :- प्रकाशगृह के साधारण प्रशासन, अनुरक्षण और संक्रियां और समुद्री नौपरिवहन को अन्य सहायता में अनुभव । प्रवर्ग- सिविल आवश्यक :(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । या समतुल्य । (11) प्रचलित सीमेट कंकरीट कार्य और संरचना के निमार्ण और हिजाइन, अनुरक्षण मे पांच वर्ष का पर्यवेक्षीय हैसियत में अनुभव ।	वांछनीय :-प्रकाशगृह के साधारण प्रशासन, रखरखाव और संक्रीया और समूद्री नौपरिवहन मे अन्य सहायता में अनुभव ।
		() 제외 제외 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	규 돼

प्रवर्ग : इलैक्ट्रोनिकी

आवश्यक : (।) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार/इलेंक्ट्रानिकी/इलेंक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी में डिप्री या समतुल्य । (।।) बेतार क्षेत्र जिसमें प्रतिष्ठापन और बेतार पारेषण और गृहण और स्वचातित प्रसारण पद्धति, उत्पादन प्रवाय और शक्तित्त का परेषण जिसमे शक्ति केन्द्रो के प्रतिष्ठापन का अनुभव भी हैं , में पर्यवेक्षीय रिंथति मे पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय :- प्रकाशगृह के साधारण प्रशासन, अनुरक्षण और संकिया और समुद्री नौपरिवहन की अन्य सहायता में अनुभव ।

टिप्पणी :- (2) अनुभव संबंधी आर्हता (अर्हताएं) संघ लोकसेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जतित्यों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थयों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप टिप्पणी ः (।) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिधिल की जा सकती है । संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नही है।

1			THE GAZETTE O	FINDIA: EXTRAORDINARY	[PART II-SEC. 3
	प्रोन्नति 8000-13500 रुपये के वेतनमान मे ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।	रियमण	इन पुनरीक्षित नियमो की अधिसूचना की तारीख पर 6500-10500 रुपये वेतनमान मे सहायक इंजीनियर के विद्यमान पदधारी जिन्होने 8 वर्ष नियमित सेवा की है, प्रोन्हति के लिए अर्हता को बनाए रखेगे परन्तु वे सीधे भती किर जाने वाले व्यक्तियो के लिए स्तंभ 8 मे विहित शैक्षिक अर्हताएं है ।	टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के सबंध मे, जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विवार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियो के संबंध मे भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से आधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आाली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्हते के लिए अपनी परिवेक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकारो /राज्य सरकारो/संघराज्य क्षेत्र सरकारो /पत्तन च्यास/ लोक सैक्टर उपकमो के ऐसे अधिकारी (क) (1) जो मूल काडर/विभाग मे नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैंया 11 जिन्होने 8000-13500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान मे उस श्रेणी मे नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा कर ली है और
	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) दोनो के न हो सकने पर सीधी	भतीं द्वारा ।			


[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत	का राजपत्र : असाधारण	1.	
ख जिसके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।	(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्हति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगें। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनविभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 4 बर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनविभाग यर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अत्यकालिक संविदा की है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 66 वर्ष से अधिक नहीं होगो ।	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्दीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है । साधारणतया उँ वर्ष से अधिक नही होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं'होगी ।		

अध्यक्ष/सदस्य,संघ लोक सेवा आयोग महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत उपमहानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य	संघ लोक रतेा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
टिप्पणः	
ज्येष्ठतम उपमहानिदेशक सदस्य के रुप मे कार्य करेगा समूह क'विभागीय प्रोन्वति समिति प्रोन्वति के लिए जब कोई समूह ख'अधिकारी विचार और पुष्टि के क्षेत्र में न हो 1 महानिदेशक,दीपस्तंभ और दीपपोत 2 उपमहानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत 3 निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत 3 निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत	अध्यक्ष संदर्भ्य संदर्भ्य
टिप्पण :	
ज्येष्ठतम उपमहानिदेशक और विद्या का, जिसके उपनिदेशक का पद संबंधित है का ज्येष्ठतम निदेशक सदस्य के रुप में कार्य करेगा ।	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

<u>ग II—खर</u> ।	1	मारत का राज	गपत्र : असाधारण	
6	35 वर्ष से अधिक नहीं नहीं	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किंए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिधिलनीय)	टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्जायक तारीख भारत मे अभ्र्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले तथा चम्बा जिते के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है।	
°.	चयन	(केन्द्रीय सज सेवकों के ति	टिप्पणी :- 3 आवेदन प्राप्त असम, मेधात कश्मीर राज्य पांगी उपखंड,	
4	8000-275- 13500 ਦ ਸਪੋ			
e	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह केराजपत्रित, अ ननुसचिवीय			र परिवर्तन
5	24*			र के आधार
-	सहायक कार्यपालक इंजीनियर इलैक्ट्रोनिकी-16 सिविल- 06	यात्रिक- 02		• (२००२) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन
	н.	1		



अंतर दहन इंजनों, जनित्रों, मोटर और अन्य विद्युत मशीनरी के प्रतिष्ठापन

और अनुरक्षण का पर्यवेक्षीय हँसियत के दो वर्ष का अनुभव ।

बांछनीय :- यांत्रिक कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी : (I) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिधिल की जा सकती है I

टिप्पणे :- (2)) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोकसेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नही है ।

2		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAC)RDINARY m
12 प्रोन्नति :- 6500-10500 रुपये के वेतनमान से ऐसा सहायक हं औरियान निवारे	हें और उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित सेवा की है हिग्री	टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सबंध मे, जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी दिचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित. जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, आगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्चति के लिए अपनी परिवोक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।	JRDINARY [PART II—SEC. 3(i
90 .00 % सीधी भर्ती	10 . 00 % प्रोन्नति		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 [फा. सं. एलएच-13012/1/2001-एसएल] एम. रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 4 करना आवश्यक है अ ध्यक्ष /सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष - सदस्य उपमहानिदेशक, दीपरतंभ और दीपपोत - सदस्य - आध्यक्ष उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य प्रोन्नति के लिए समूह 'क'विभागीय प्रोन्नति समिति समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) महानिदेशक, दीपरतंभ और दीपपोत महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत 3 -N 3 ---2

MINISTRY OF SHIPPING (Shipping Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2002

G.S.R. 688 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Lighthouse and Lightships (Group 'A' Gazetted Technical Posts) Recruitment Rules, 1990. except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'A' Gazetted Technical Posts in the Directorate General of Lighthouses 1.

- Short title and commencement.--- (1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group 'A' Gazetted, Technical Posts) Recruitment Rules, 2002.
- These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2.
- Number of posts, Classification and Scales of Pay.- The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule. 3.
- Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc .--- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid. 4.
- Disqualifications.— No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do. it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .-- Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this re

Name of the			SCHEDULE	a nom time to time	at this regard.
post	Number of posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection post	Age limit for direct recruit
1. Director	2	3	4	5	6
General	1* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Centra Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministeria	22400	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	qualifica for direct	nal and other tion required recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruit- ment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
	8		- 9	10	11
Not Applicable	Not applie	cable .	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation includ- ing short term contract.

In case of Recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

12

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

25

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

Promotion:

Deputy Director General in the pay scale of Rs. 14300-18300 with three years regular service in the grade failing which Deputy Director General with 8 years combined regular service as Deputy Director General and Director out of which minimum two years regular service as Deputy Director General and possessing Degree in Civil/Mechanical/ Telecom/Electronics and Communication/Electronics or Electrical Engineering from a recognised University or equivalent.

Note :—Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (ISTC)

Officers under the Central/State/UT Government/Port Trusts/Public Sector Undertakings:---

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
 - (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience as indicated below :---

Essential:

- Degree in Civil/Mechanical/ Telecommunication/Electronics/ Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent.
- (ii) 20 years' practical experience in supervisory positions in an engineering organisation in the field

Group 'A' Departmental Promotical Committee (for promotion) :

13

- Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
 Secretary to the Government of
- India, Ministry of Member Shipping

 Additional Secretary to the Government of India, Ministry of — Member Shipping Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).

12

of "Aid to Marine Navigation" including experience in Docks. Harbours and other structural work with submerged foundations, as applicable to Civil/Mechanical/ Electronics/Electronics and Communication Engineering.

Note:

1

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 5 years the maximum age limit for appointment by deputation (including shortterm contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

2

3 4 5 6 2. Deputy *3 (2002) General Central 14,300-400-Selection Not applicable Director *Subject to service, Group 18,300 General variation 'A' Gazetted. dependent Non-Ministerial. on workload. 7 8 0 10 11 Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Promotion failing which by Deputation includ-

ing Short Term Contract.

. 12	13	14
Promotion : Director in the Pay Scale of Rs. 12,000—16,500 with five years regular service in the grade failing which 10 years combined regular service in the grade of Director and Deputy Director (in the pay scale of Rs. 10,000-15,200) out of which minimum three years regular service in the grade of Director and possessing Degree in Civil/Mechanical/Telecom/Electronics and Communication/Electronics or Electrical Engi- neering from a recognised University or equivalent.	 Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping— Member 3. Director General of Lighthouses and Lightships —Member 	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC)
Note :Where juniors, who have completed heir qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would	 Particular de la company Particular de la company 	

also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (ISTC)

Officers under the Central/State/UT Government/Port Trusts/Public Sector Undertakings :---

- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department: or
 - (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of. Rs. 12,000—16,500 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience as indicated below :---

Essential:

- (i) Degree in Civil/Mechanical/ Telecommunication/Electronics/ Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent.
- (ii) 15 years' practical experience in supervisory positions in an engineering organisation in the field of "Aid to Marine Navigation" including experience in Docks, Harbours and other structural work with submerged foundations, as applicable to Civil/Mechanical/ Electronics/Electronics and Communication Engineering.

Note:

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years the maximum age limit for appointment by deputation (including shortterm contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

28

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

	Constraint State				[PART II—SEC. 3(i)]
1	2	3	4	5	6
3. Director Regional–7 Civil–1 Electronics–1	*9 (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	12000-375- 16500	Selection	Not exceeding 50 years. Note: Relaxable for Govern- ment servants upto 5 years in accordance with the in- structions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7	8		9	10	and the second
No	Cata		2	10	11

8 Category Regional : Essential : (i) Degree in Civil/Mechanical/ Electronics/Telecommunication/ Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years experience in su- pervisory positions in an engi- neering organisation. Desirable : Experience in general adminis- tration, maintenance and opera- tion of lighthouses and other aids to marine navigation Category Civil : Essential : (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years experience in su- pervisory positions in Docks, Harbour and other structural work with submerged founda- tions. Desirable : Experience in general adminis-

tion of lighthouses and other aids to marine navigation. Category Electronics :

Essential

(i) Degree in Telecommunications/Electronics and Communication/Electronics Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) Ten years experience in supervisory position in design, installation and maintenance of Radio Transmitting and receiving stations including aerial system and its installation, maintenance of Electronics equipment.

Desirable :

Experience in general administration, maintenance of radar, radio telephone and radio equipments.

Note: 1

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2:

The qualification'(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

12	13	11
Promotion : Deputy Director in the Pay Scale of Rs. 10000-15200 with five years regular service in the grade failing which Deputy Directors with ten years combined regular service in the grades of Deputy Director and Assistant Executive Engineer (pay scale of Rs. 8000-13500) out of which three years regular service as Deputy Director.	 Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping— Member 3. Director General of Lighthouses and Lightships —Member 	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appoint- ing an officer on depu- tation (ISTC)

Note :--- Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (ISTC) :

Officers under the Central/State/UT Government/Port Trusts/Public Sector Undertakings:---

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. 8.

Note:

The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

1 4 Deputy Directo	2	3	4	5	
Civil-1	*12 (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	10000-325- 15200	Selection	6 Not exceeding 40 years. Note1: Relaxable for Govern- ment servants upto 5 years in accordance with the in- structions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for

[भाग II—खण्ड 3(i)]

		Lifer parallecter (11) Construction (11) Constru		determining the age-lim shall be the closing date for receip of applications from conditates in India (and no the closing date prescribe for those in Assam Meghalaya, Arunacha Podesh, Mizonan, Manipu Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of J&H Tate, Lahaul and Spit District and Pangi Sub Division of Chamba Distric of Himachal Pradesh Andaman and Nicoba Islands or Lakshadweep)
7	8	9		
No	Category Regional :	Age: No	I () One year for	11
	Essential : (i) Degree in Civil/Mechanical/ Electronics/Telecommunications/ Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Five years experience in su- pervisory positions in the field of construction, operation and maintenance including design and execution of aids to naviga- tion related project. Desirable : Experience in general adminis- tration, maintenance and opera- tion of lighthouses and other	EQS : Yes	direct recruits & promotees	Promotion failing which by deputation (ISTC failing both by direc recruitment.

(ii) Five years experience in a supervisory capacity in design, maintenance and construction of structural and reinforced cement concrete works.

Desirable :

Experience in general administration, maintenance and operation of lighthouses and other aids to marine navigation.

Category Electronics :

Essential

(i) Degree in Telecommunica-

32

tion/Electronics/Electronics and Communication Engineering * from a recognised University or equivalent.

(ii) five years experience in supervisory position in wireless field, including installation and maintenance of wireless transmitters receivers and automatic relay system. generation. supply and transmission of power including experience in installation of power plants.

Desirable :

Experience in general administration, maintenance and operation of lighthouses and other aids to marine navigation Note 1 :

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, it at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Promotion :	13	14
Assistant Executive Engineer in the pay scale of Rs. 8000-13500 with five years regular service in the grade. Note : —The existing incumbents of Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 6500-10500 on the date of notification of these revised rules with eight years regular service shall continue o be eligible for promotion provided they	 Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion : Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman Director General of Lighthouses and Lightships—Member Deputy Director General of Lighthouses and Lightships—Member, Note :—The Senior-most Deputy Director 	Consultation with Union Public Service Commission necessary

33

possess the eductional qualifications prescribed for direct recruits in col. 8

Note :---Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (ISTC)**:

Officers under the Central/State Governments/ Union Territories/Port Trusts/Public Sector Undertakings :---

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. 8.

Note:

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. General will act as Member.

Group 'A' Departmental Promotion

13

Committee (for promotion when no Group

"B' officer in the zone of consideration/ and for confirmation) :

- 1. Director General of Lighthouses and Lightships—Chairman.
- 2. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships—Member
- 3. Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships—Member.

Note:—The Senior-most Deputy Director General and the Senior-most Director of the discipline, to which the post of Deputy Director belongs will act as Member.

1	2	3	4	5	6
5. Assistant Executive Engineer Electronics–16 Civil–6 Mechanical–2	24* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	8000-275- 13500	Selection	Not exceeding 35 years. Note:—Relaxable for Govern- ment servants upto 5 years in accordance with the in- structions or orders issued

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

6 by the Central Government.

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8 .	9	. 10	
No	Category Electronics :		10	11
	Essential :	Age: No	One year	90% Direct Recruitment
*	(i) Degree in Telecommunications/	Eqs. : Yes		10 % Promotion.
	Electronics Engineering/ electro-			
	nics and Communications Engi-			
	ncering from a recognised Univer-			
	sity or equivalent.			
	(ii) Two years experience in			
	supervisory capacity in the field			
OF radio ands to navigation. Desirable :	<u>*</u>			
	Two years experience in genera-			
	tion, supply and transmission of			
	power with experience in lighting small motors and wiring.			
	Category Civil :			
	Essential :			
	(i) Degree in Civil Engineering			
	from a recognised University or equivalent.			
	(ii) Two years experience in			
	a supervisory capacity in design,			
	maintenance and construction of			
÷	structural and reinforced concrete works.			
1000 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Desirable :			
	Experience in general administra-			
	tion, maintenance and operation			
	of lighthouses and other aids to			
	marine navigation.			
	Category Mechanical :			
	Essential:			
	(i) Degree in Mechanical Engi-			
	Ū			

neering from a recognised University or equivalent. (ii) Two years experience in supervisory capacity in installation and maintenance of

internal combustion engines. generators, motor and other electrical machinery.

Desirable :

8

Two years experience in a Mechanical workshop.

Note 1:

Oualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2:

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

12 **Promotion:**

Assistant Engineer in the pay scale

Rs. 6500-10500 possessing degree in Engineering in the respective Discipline with five years regular service in the grade. Note :--- Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion :

13

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman 2. Director General of Lighthouses and
- Lightships-Member
- 3. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships-Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :

- 1. Director General of Lighthouses and Lightships-Chairman.
- 2. Deputy General of Director Lighthouses and Lightships-Member

[File No. LH-13012/1/2001-SL] M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

14

Consultation with

Union Public Service

Commission necessary

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.